कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर

प्रेस- नोट, जनपद फतेहपुर

दिनांक:- 22.07.2026

थाना खागा पुलिस द्वारा थाना खागा/राधानगर/मलवां क्षेत्रांतर्गत हुई चोरी की 03 घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त 25,000/- रूपये के इनामिया शातिर चोर को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की तीनों घटनाओं से संबंधित 49,000/- रुपये बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

1.थाना खागा

दिनांक 22.10.2025 को वादी विनय कुमार सोनी पुत्र वीरेन्द्र कुमार सोनी निवासी डाक घर के सामने थाना खागा जनपद फतेहपुर द्वारा थाना खागा पर सूचना दी गई कि दिनांक 21.10.2025 को वादी सपरिवार अपने घर में ताला बंद करके चित्रकूट घूमने गया था। दिनांक 22.10.2025 को समय 19.00 बजे वापस आने के बाद देखा तो घर का ताला टूटा मिला तथा कमरे में रखी अलमारी से चोरों द्वारा सोने चांदी के आभूषण एवं नगदी चोरी हो गई है। वादी द्वारा दी गई तहरीरी सूचना के आधार पर थाना खागा पर मु0अ0स0 431/2025 धारा 305/331 बीएऩएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।

2.थाना राधानगर

दिनांक 16.05.2026 को वादिनी श्रीमती अन्नू पत्नी अतुल कुमार निवासी को कोऑपरेटिव बैंक के पीछे, राधानगर थाना राधानगर जनपद फतेहपुर द्वारा थाना राधानगर पर सूचना दी गई कि मेरा ससुराल कोऑपरेटिव बैंक के पीछे राधानगर में है, इस समय मैं दिल्ली में रह रही हूं ससुराल से बाहर रहने के कारण मैंने सुरक्षा हेतु अपने पूरे जेवर तथा 1,00,000/- रुपये अपने माता पिता के निवास मदरियापुर,राधानगर में पिता गंगासागर के घर पर रख दिए थे। दिनांक 14.05.2026 को वादिनी के पिता गंगासागर द्वारा अपने मूल निवास स्थान ग्राम केबटमई थाना खखरेरू जनपद फतेहपुर भागवत कथा का आयोजन किया था। जिसमें वादिनी भी परिवार के साथ शामिल होने के लिए ग्राम केबटमई आई थी। इसी रात को अज्ञात चोरों द्वारा घर का ताला तोड़कर वादिनी का पूरा सामान जिसमें 1. 01 सोने का हार 2. 01 सोने का लॉकेट का माला 3.सोने के 01 जोड़ी कान के टप्स 4.सोने की 1 सलाई 5.01 चांदी का चाभी का गुच्छा 6. 01 जोड़ी चांदी की पायल (लगभग 250 ग्राम) 7. 02 जोड़ी चांदी की पायल (लगभग 200 ग्राम) 8.10 जोड़ी चांदी की बिछिया 9.चांदी का कमर पट्टा 10.01 जोड़ी चांदी के हाथ के कड़े 11.01 जोड़ी चांदी के पैर के कड़े 12. नकद ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये)

चोरी कर ले गए। वादिनी को घटना की जानकारी दिनांक 15.05.2026 को पडोसियों ने दी। वादिनी द्वारा दी गई तहरीरी सूचना के आधार पर थाना राधानगर पर मु0अ0स0 87/2026 धारा 305(a)/331(1) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

3.थाना मलवां

दिनांक 02.05.2026 को वादी पंकज साहू पुत्र रामदास साहू निवासी अल्लीपुर थाना मलवां जनपद फतेहपुर द्वारा थाना मलवां पर सूचना दी गई कि दिनांक 01.05.2026 को रात में वादी सपरिवार घर में ताला लगाकर पारिवारिक शादी में गया था। इसी रात को घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोर द्वारा घर स दो अलमारी का ताला तोड़कर 02 सोने की चेन, मंगल सूत्र, कान की झुमकी, लॉकेट वाला सोने का माला तथा 1 लाख 50 हजार रुपये नगद चोरी कर ले गए। वादी द्वारा दी गई तहरीरी सूचना के आधार पर थाना मलवां पर मु0अ0स0 84/2026 धारा 305(a)/331(4) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी का विवरण:- श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के निर्देशन में पुरस्कार घोषित/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी, अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद फतेहपुर के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी खागा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 22.07.2026 को उपरोक्त अभियोगों की विवेचनात्मक कार्यवाही, प्रभावी सुरागरसी- पतारसी एवं मुखबिर खास की सूचना पर थाना खागा पुलिस द्वारा 25,000/- रुपये के इनामिया व उपरोक्त चोरी की घटनाओं मे संलिप्त शातिर चोर कमल जोशी पुत्र ज्ञानप्रकाश निवासी लखनऊ बाईपास थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर उम्र 23 वर्ष को ग्राम बरकतपुर मझिलगाँव तिराहा थाना खागा जनपद फतेहपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से मु0अ0सं0 431/2025 से संबंधित ₹9,000, मु0अ0सं0 87/2026 से संबंधित ₹20,000 तथा मु0अ0सं0 84/2026 से संबंधित ₹20,000, कुल ₹49,000 बरामद किए गए। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोगों में धारा 317(2) बीएऩएस की बढोत्तरी करते हुए गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त कमल जोशी ने बताया कि वह अपने साथियों सलीम उर्फ सलमान एवं ऋषभ यादव के साथ मिलकर दिन में बंद मकानों की रेकी करता था तथा रात्रि में ताला तोड़कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। चोरी किए गए आभूषण एवं अन्य सामान को योगेश कुमार गुप्ता को बेच देते थे तथा प्राप्त धनराशि आपस में बराबर-बराबर बांट लेते थे। अभियुक्त ने थाना खागा, राधानगर एवं मलवां क्षेत्र में हुई चोरी की घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए बताया कि राधानगर एवं मलवां की चोरी से उसके हिस्से के ₹40,000 तथा थाना खागा की चोरी से ₹9,000 कुल ₹49,000 शेष थे, जिन्हें पुलिस ने उसके कब्जे से बरामद किया है।

उल्लेखनीय है कि उक्त चोरी की घटनाओं में संलिप्त अन्य तीन अभियुक्तों को पूर्व में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

कमल जोशी पुत्र ज्ञानप्रकाश निवासी लखनऊ बाईपास थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर उम्र 23 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

कुल 49,000/- रुपये

गिरफ्तार अभियुक्त कमल जोशी का आपराधिक इतिहास:-

1.मु0अ0सं0 431/25 धारा 305/331/317(2)/112 बीएनएस थाना खागा फतेहपुर**(25,000/- रूपये के इनामिया)**

2.मु0अ0सं0 87/2026 धारा 305ए/331(1) बीएनएस थाना राधानगर फतेहपुर

3.मु0अ0सं0 84/2026 धारा 305ए/331(4) बीएनएस थाना मलवां फतेहपुर

4.मु0अ0सं0 206/25 धारा 137(2)/87 बीएनएस थाना हथगांव फतेहपुर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 दिनेश कुमार सिंह चौकी प्रभारी मझिलगांव थाना खागा जनपद फतेहपुर

2.हे0का0 आत्माराम मिश्रा

3.का0 राजेश सिंह

सोशल मीडिया सेल

जनपद फतेहपुर